

प्रकृष्ट 2 (नियम 11 (4) दर्खिए)

विद्या का अधिकारी
वह को जो भी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दरबाराप:-

पैकड़ा:

ई-मेल:

क्रमांक: 261721894/स्कूल आई.डी. - 13078
प्रति,

दिनांक: 31/03/2019

प्रबंधक,

(THE MILLENNIUM SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 25/02/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रधातवती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - THE MILLENNIUM SCHOOL, HALKA NO. - 13, VILLAGE MUNDLA NAYTA, A.B. ROAD BY PASS

INDORE को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संवदता की कोई बाइबल किसी भी रूप में विविहित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचंद 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचंद 2) के उपर्युक्ती का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वर्चित समृद्ध तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दण्ड में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके बारें आवर्ती व्यवहार वो पूरा करने हेतु इस प्रकार बारिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है यिन्तु यह न्यूनतम प्रवेशित प्रतिशत के अधीन होगा बशहते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपर्युक्त प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में विनिर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवहार की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध बनाना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी वैष्णवीकरण फौस का संयह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी उपजीबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
 - (क) आपु के स्कूल के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या भूमिका, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को बारीरिक या मानसिक रूप से प्रताहित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपर्युक्तों के अनुसार निःशुल्क व्यवहार की आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशहते कि बर्तमान में कार्यरत जी शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 दर्ज की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों की अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट हीरिंग की वित्तिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेगे/लेंगे।
- स्कूल सम्मुखित प्राधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसारण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।



स्कूल व्यारा अधिनियम की पारा 19 मे विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल मे उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

	सुविधाएं	पोर्टल से दर्ता	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन	किराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट मे)	221265	221285
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट मे)	90000	90000
11	घेत मैट्रिक का क्षेत्रफल (वर्ग फीट मे)	72000	72000

अधीसंरचना का विवरण

	Rooms as कक्ष	per RTE	पोर्टल से दर्ता	वास्तविक स्थिति
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग मे आ रहे कक्षों कक्ष		30	560
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाधिकारीक कक्ष		4	2100
3	भीजनालय-सह-भण्डार		3	8000

अन्य सुविधाएं

	पोर्टल से दर्ता	वास्तविक स्थिति
1	वया तभी सुविधाओं तक पहुंच दाया रहित है हाँ/नहीं	हाँ
2	पठन पाठ्य सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करे)	हाँ
3	थोलवहू एवं सेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करे)	हाँ
4	पुस्तकालय की संख्या	4850
5	परिकारण/समाचार पत्र	30
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	15
8	शौचालय का प्रकार (आरतीय/परिमीट्री)	Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	16
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	16
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2
12	वया अग्रिम सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ

- मेंके संपरीक्षित किए जाएंगे तथा घार्टड एकाउन्टेंट व्यारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक नेताओं के विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जित्वा शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 261721894.. एवं डाइसलोड (DISE) 23260505712 है। इस कार्यालय के साथ पवान्नार ने यह कोड अन्वय दोषित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्रजिल्ला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकारीस्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अयथा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटीन्यास, यदि कोई हो, की पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपार्थ "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्योगी और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता घापस ले ली जाएगी।

अवधीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला INDORE

मध्यप्रदेश

